न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 29 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 30)

वादीगण	बनाम प्रतिवादी
1. जगसीर सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्री करणपुर। 2. गुरदीप सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्री करणपुर। 3. मलकीत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्री करणपुर। 4. हरदीप सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्री करणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 21.02.2023

उपस्थित: 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– **दिनांक : 11.03.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 14 एच, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 24/24 के मुरब्बा नम्बर 1, 15, 21, 33, 56/14, 56/17, 56/21 की कुल 13.328 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। जबकि मुरब्बा नम्बर 15 का तमाम रकबा सी.सी.ए. रिकॉर्ड में नहरी दर्ज है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है। उक्त रकबा राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज होने के कारण वादीगण को बैंक से लोन इत्यादि उठाने में बाधा आ रही है। जिससे वादीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। आज से 10 रोज पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी से उक्त संशोधन करने के लिए कहा तो प्रतिवादी तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा श्रीमान् जी के न्यायालय में चाराजोही करने को कहा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 14 एच, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 24/24 के मुरब्बा न[illegible] किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर [illegible] की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी [illegible] के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 18 दिनांक 19.04.2023 से रिपो[illegible] हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर रिपोर्ट मुताबिक राजस्व ग्राम चक 14 एच, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 24/24 के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:16:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

किला नम्बर 16 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टेयर कुल 0.962 हैक्टेयर रकबा गुरदीप सिंह, जगसीर सिंह, मलकीत सिंह, हरदीप सिंह पिसरान मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां श्रीकरणपुर के नाम खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का मलकाना कलां की रिपोर्ट के अनुसार मुरब्बा नम्बर 15 नहर द्वारा सिंचित है। अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन उतरखण्ड श्रीगंगानगर से प्राप्त चक 14 एच के सीसीए अनुसार दिनांक 25.05.1989 में मुरब्बा नम्बर 15 के 24 बीघा कमाण्ड है। गंगनहर क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय नियम 1956 के अनुसार तत्समत रुपये 1225 प्रति बीघा दर से 3.16X1225=3871 रुपये भूमि विक्रय मूल्य एंव रुपये 15794 ब्याज कुल 19655 रुपये अन्तरराशि वसूली योग्य है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 14 एच, पटवार हल्का मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 24/24 की प्रति, चक 14 एच के सीसीए चक प्लान की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 14 एच, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 24/24 के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 14 एच के मुरब्बा नम्बर 15 के 24 बीघा नहर द्वारा सिंचित है। अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन उतरखण्ड श्रीगंगानगर से प्राप्त चक 14 एच के सीसीए अनुसार दिनांक 25.05.1989 में मुरब्बा नम्बर 15 के 24 बीघा कमाण्ड है। गंगनहर क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय नियम 1956 के अनुसार तत्समत रुपये 1225 प्रति बीघा दर से 3.16X1225=3871 रुपये भूमि विक्रय मूल्य एंव रुपये 15794 ब्याज कुल 19655 रुपये अन्तरराशि वसूली योग्य है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 14 एच, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 24/24 के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण से उक्त रकबा की अन्तरराशि 19655 रुपए राजकोष में जमा करवाई जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से खारिज होकर बाद तकमील मियाद अपील बाबत पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:16:22 IST
Reason: SelfAttested

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 11.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जगसीर सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **29/2023**
निर्णय दिनांक :- 11.03.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 14 एच, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 24/24 के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण से उक्त रकबा की अन्तरराशि 19655 रुपए राजकोष में जमा करवाई जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 11.03.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला, श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर, जिला, श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक: 11.03.2024

क्रमांकः रीडर/ 2024/69
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि [illegible] की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:16:22 IST
Reason: SelfAttested

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर, जिला, श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर